न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 127/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/470

अनवान्

1. श्री दिनेश पिता जगन्नाथ डांगी निवासी पलानाखुर्द तहसील मावली।
2. श्री सुरेश पिता जगन्नाथ डांगी निवासी पलानाखुर्द तहसील मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश पिता भेरूलाल मेघवाल निवासी जुनावास तहसील मावली।
2. श्री प्रकाश पिता हीरापुरी गोस्वामी निवासी पलानाखुर्द तहसील मावली।
3. श्री रंगलिया पिता गणेश डांगी निवासी पलानाखुर्द तहसील मावली तर्क किया।
4. पटवारी, पटवार हल्का पलानाकलां तहसील मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 15.01.2026

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां तहसील मावली के आराजी नम्बर 2718, 2719, 2721, 2723, 2724, 2725, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2741, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 3317/2750 किता 31 कुल रकबा 4.5809 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/20 हिस्सा दर्ज है जो पूर्व में विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज था तथा इससे पूर्व विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज था।
2. यह कि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा इसके मूल खातेदार विपक्षी संख्या 3 रंगलिया का हिस्सा हम प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 22.01.2018 को क्रय किया जिसके बाद से उक्त वर्णित आराजीयात हम प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में चली आ रही है और हम प्रार्थीगण ही उक्त वर्णित आराजीयात के मालिक होकर हम प्रार्थीगण उपयोग उपभोग कर रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 रंगलिया द्वारा उक्त वर्णित जमीन हम प्रार्थीगण को विक्रय करने के बाद इसमें रंगलिया का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा रंगलिया के सम्पूर्ण हक [illegible] के अधिकार हम प्रार्थीगण को प्राप्त हो गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि हम प्रार्थीगण को विक्रय करने के बाद विपक्षी रंगलिया ने एक वाद झुठे तथ्यों के आधार पर आप न्यायालय में प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया है जिससे उक्त वर्णित भूमि हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं हो पाई जिसका नाजायज फायदा उठा कर विपक्षी रंगलिया ने उक्त भूमि का नुमाईशी विक्रय पत्र विपक्षी प्रकाश के पक्ष में लिख दिया एवं प्रकाश ने ओमप्रकाश के पक्ष में लिख दिया जिसका विपक्षी रंगलिया एवं विपक्षी प्रकाश को कोई अधिकार नहीं हैं, चूंकि हम प्रार्थीगण के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीकृत करवाने के बाद विपक्षी रंगलिया का वादग्रस्त आराजीयात में कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य शेष नहीं रहा, जिससे विपक्षी रंगलिया द्वारा प्रकाश के पक्ष में लिखा गया दस्तावेज शून्य है एवं शून्य दस्तावेज भी स्वतः ही शून्य है, जिसके आधार पर प्रकाश एवं विपक्षी ओमप्रकाश को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

4. यह कि विपक्षीगण का वादग्रस्त आराजीयात में कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं होने से हम प्रार्थीगण इनके विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि वो वादग्रस्त आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। वादग्रस्त आराजीयात पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर लेने से प्रार्थीगण विक्रय पत्र अनुसार विपक्षी रंगलिया द्वारा बेचा गया हिस्सा अपने नाम खातेदारी अधिकारी से दर्ज कराने के अधिकारी है चूंकि प्रार्थीगण के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित कर पंजीकृत कराने के बाद प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्य हो जाने से इसमें विपक्षीगण का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। विपक्षीगण को वादग्रस्त आराजीयात में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं है, चूंकि वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में जो नुमाईशी विक्रय पत्र विपक्षीगण ने आपस में लिखे है वो सभी गैर कानूनी हैं।

5. यह कि हम प्रार्थीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस हैं। चूंकि प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजीयात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विधिवत् तरीके से क्रय की है इसलिए इसमें विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। विपक्षीगण दिनांक 25.06.2022 को जबरन जमीन कब्जा करने के लिये आये तो प्रार्थीगण ने नकल निकलवाई तो प्रार्थीगण को रंगलिया द्वारा विपक्षी प्रकाश के पक्ष में एवं विपक्षी प्रकाश द्वारा ओमप्रकाश के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र लिखने की जानकारी हुई। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अपने नाम विक्रय पत्र अनुसार करने के लिये विपक्षीगण को दिनांक 25.06.2022 को कहा तो विपक्षीगण ने इन्कार कर दिया एवं जबरन कब्जा करने की धमकी दी जिससे प्रार्थना पत्र कारण पैदा होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। प्रार्थीगण को वर्णित आराजीयात का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करने देवे एवं यथा स्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3 का नाम पूर्व में तर्क किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
7. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दुओं पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वर्तमान में प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2018 से क्रय की गई थी परन्तु उक्त विक्रय का नामान्तरण पारित नहीं हुआ जिस कारण वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 3 के नाम ही दर्ज चली आ रही थी। विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपने नाम भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दी गई तथा विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय कर दी। जिसे प्रार्थीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा इस कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वक्त खरीद वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 3 के नाम पर ही दर्ज थी।

इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को हम प्रार्थीगण को विक्रय करने के बाद विपक्षी संख्या 3 रंगलिया ने एक वाद झुठे तथ्यों के आधार पर आप न्यायालय में प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया है जिससे उक्त वर्णित भूमि हमे प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं हो पाई। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

यह साबित होता हो कि उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत् न्यायालय हाजा में वाद दर्ज होकर स्थगन हों। फिर भी यदि प्रार्थीगण के उक्त कथन को मान भी लिया जाये तो प्रश्न यह है कि यदि वादग्रस्त भूमि पर स्थगन था तो विपक्षी संख्या 3 द्वारा भूमि विक्रय करने से भूमि विपक्षी संख्या 2 के नाम तथा विपक्षी संख्या 2 द्वारा भूमि विक्रय करने से भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण कैसे पारित हुआ।

इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि विपक्षी संख्या 3 रंगलिया ने उक्त भूमि का नुमाईशी विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 2 प्रकाश के पक्ष में लिख दिया एवं विपक्षी संख्या 2 प्रकाश ने विपक्षी संख्या 1 ओमप्रकाश के पक्ष में लिख नामान्तरकरण पारित करवा दिया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा इस कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 2 एवं तत्पश्चात् विपक्षी संख्या 1 के नाम विक्रय पत्र के आधार पर ही दर्ज हुई हों, ना ही प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त विक्रय पत्र की दिनांक ही अंकित की हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छिपाये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण, रेकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहते है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह साबित होता हो कि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो। इसलिए यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा खातेदार को अपूरणीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 171 पर दर्ज आराजी नम्बर 2718, 2719, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2741, 2742, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 3317/2750 किता 31 कुल रकबा 4.5809 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण जिन कथनो के आधार पर वादग्रस्त भूमि को क्रय करना बताकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है उन कथनो के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का हित निहित होना प्रतीत हो। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजो के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested